# संशोधन-पत्र

इस कार्यालय द्वारा सीधी भर्ती के अलिपिकीय रिक्त पदों हेतु विज्ञापन समाचार पत्र, **दैनिक भास्कर** में दिनांक 26.08.2013 एवं साप्ताहिक रोजगार पत्रिका, **रोजगार एवं नियोजन** में दिनांक 28.08.2013 को प्रकाशन करवाया गया था जिसमें अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष (अ.जा., अ.ज.जा. एवं ओ.बी.सी हेतु 05 वर्ष की छूट अतिरिक्त) 35 वर्ष चाही गई थी जिसके लिए अंतिम **तिथि 27.09.2013 थी ।**

वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 27.09.2013 के द्वारा राज्य शासन द्वारा की जा रही भर्तियों के लिए एक बार छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट अधिकतम आयु में देने के लिए आदेश जारी किया गया है ।

उक्त आदेश के परिपालन में इस संस्था द्वारा जारी विज्ञप्ति की कंडिका-02 में आंशिक संशोधन करते हुए अधिकतम आयु 40 वर्ष की जाती है ।

वर्तमान में आयु सीमा बढ़ने के कारण उक्त तिथि में **वृद्धि करते हुए** दिनांक **30.01.2014** की जाती है । पूर्व में जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत किए है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है । आवेदन करने हेतु नियम एवं शर्ते पूर्ववत ही रहेंगी ।

टीप - उपरोक्त दर्शाई गई तिथि के समाचार पत्र, **दैनिक भास्कर** एवं साप्ताहिक रोजगार पत्रिका, **रोजगार एवं नियोजन** के वेबसाईट में तथा संस्था के सूचना पटल से वर्तमान में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

प्र.प्राचार्य,
**शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक**
**रायपुर, छ.ग.**

08/01/14

# कार्यालय प्राचार्य
# शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक
## कौशल्या भवन, बैरन बाजार, रायपुर, छत्तीसगढ़

**Web Site:- http://ggpraipur.ac.in** **E Mail:- ggpraipur@yahoo.com** **Tel.No.:- 0771-2423045**


क्रमांक/ /शाकपॉरा/स्था.अरा./सीधी भर्ती//2013 रायपुर, दिनांक ...............

## // सीधी भर्ती के अलिपिकीय रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन //

कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बैरन बाजार, रायपुर (छ0ग0) में स्वीकृत (अलिपिकीय) रिक्त पदो के लिये सीधी भर्ती से नियुक्त किये जाने हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नियमानुसार योग्य उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है । छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक–1734/वित्त/ब–4/चार, दिनांक 24.11.2011 एवं तकनीकी शिक्षा संचालनालय, रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था/3 सी/तक.शि./2012/1635, दिनांक 18.05.2012 के तहत् तथा छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय से जारी अधिसूचना क्रमांक ए–1–1/2012/1–3, दिनांक 17.01.2012 के निर्देशानुसार इच्छुक एवं अर्हताधारी उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हो अपना आवेदन पत्र निर्धारित तिथि **दिनांक 07/09/2013 को सायं 05:00 बजे तक** स्पीड–पोस्ट अथवा पंजीकृत डाक से कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बैरन बाजार, रायपुर (छ0ग0) 492001 के नाम पर प्रेषित किया जा सकता हैं । निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा आवेदन पत्र अमान्य किया जावेगा ।

| स0 क्र0 | पदनाम | वेतन बैण्ड + ग्रेड वेतन | कुल रिक्त पदों की संख्या | रिक्त पदों का विवरण | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | अनारक्षित | | अनु0ज0जाति | | अनु0जाति | | अ0पि0वर्ग | |
| | | | | मुक्त | महिला | मुक्त | महिला | मुक्त | महिला | मुक्त | महिला |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 01. | कुशल परिचारक | 5200–20200, ग्रेड वेतन 1900 | 03 | 01 | 01 (महिला मुक्त) | – | – | – | 01 | – | – |

## 01. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताः–

<u>पद क्रमांक 01. कुशल परिचारक</u>

**1.1. इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजाईन (IDD) विभाग के (मुक्त महिला) 01 पद हेतु**

मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (NCVT/SCVT) से इंटीरियर डेकोरेशन एण्ड डिजायनिंग ट्रेड में 01 वर्षीय सक्षमता का प्रमाण–पत्र ।
(अनुभव प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी).

**1.2. कास्ट्यूम डिजाईन एण्ड ड्रेस मेकिंग (CDDM) विभाग के (मुक्त) 01 पद हेतु**

मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (NCVT/SCVT) से ड्रेस मेकिंग ट्रेड (नान–इंजीनियरिंग) में 01 वर्षीय सक्षमता का प्रमाण–पत्र ।
(अनुभव प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी).

**1.3. इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी (I.T.) विभाग**
**(एस.सी. महिला) के 01 पद हेतु**

मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (NCVT/SCVT) से इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम मेंटेनेंस (इंजी.) 02 वर्षीय ट्रेड में सक्षमता का प्रमाण–पत्र ।
(अनुभव प्राप्त आवेदकों को प्राथमिकता दी जायेगी).

## 02. निर्धारित आयु सीमा :–

**(क)** दिनांक 01.01.2014 को उसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न की हो।

**(ख)** निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी।

I. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट।

II. महिला– अधिकतम आयु सीमा में 10 ( दस ) वर्ष की छूट।

III. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारकों के मामलों में अधिकतम आयु सीमा में 02 दो वर्ष की छूट।

IV. अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पार्टनरों के लिये अधिकतम आयु सीमा में 05 ( पॉच ) वर्ष की छूट।

V. शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार अथवा गुण्डाधर सम्मान अथवा महाराजा प्रवीर चन्द्र भंजदेव सम्मान अथवा राष्ट्रीय युवा व्यक्तियों पुरस्कार अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित व्यक्तियों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट।

VI. निःशक्तजन उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट– यह छूट छत्तीसगढ़ के जिला चिकित्सा मंडल अथवा श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित निःशक्तजनों के उद्यमी पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर मध्यप्रदेश के अधीक्षक अथवा छत्तीसगढ़ के अधीक्षक द्वारा प्रमाणित निःशक्तजन प्रत्याशी को ही दी जावेगी।

**(ग).** ऐसे उम्मीदवारों को जो शासकीय कर्मचारी हो या रह चुकें हो, अधिकतम आयु सीमा में भी नीचे उल्लेखित शर्तो के अध्यधीन तथा सीमा तक छूट दी जायेगी :–

I. ऐसे उम्मीदवार की आयु जो शासन का स्थायी या अस्थायी सेवक हो 38 वर्ष से अधिक नही होगी।

II. उपर्युक्त आयु–सीमा की छूट ऐसे के लिये भी स्वीकार्य होगी जो आकस्मिकता निधि में वेतन पाने वाला कर्मचारी हो या कार्यभारित कर्मचारी हो या जो शासन द्वारा हाथ में ली गई किसी परियोजना में नियोजित किया गया हों।

III. ऐसे उम्मीदवार को जो छंटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा को अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की अवधि भले ही यह अवधि एक से अधिक बार में की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि उसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

IV. ऐसे उम्मीदवार जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

**स्पष्टीकरणः–** शब्द 'छंटनी' किये गये शासकीय कर्मचारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो शासन की अथवा किसी संघटक ईकाई की अस्थाई शासकीय सेवा में कम से कम 6 माह तक निरंतर रहा हो तथा किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवदेन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष कर्मचारियों की संख्या में कमी की जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

V. ऐसे उम्मीदवार को जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते की इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 03 (तीन) वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरणः–** शब्द 'भूतपूर्व सैनिक' से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देन की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण मितव्ययिता इकाई की सिफारिश के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित कर दिया गया हो :–

1. ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे समय पूर्व निवृत्ति रियायतों (स्ट्रिंग आउट कन्सेशन) के अधीन सेवामुक्त कर दिया गया हो,

2. ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिसे दुबारा भर्ती किया गया हो तथा (क) अल्पकालीन नियोजन पूर्ण होने, (ख) भर्ती की शर्ते पूर्ण कर देन पर सेवामुक्त कर दिया गया हो,

3. मद्रास सिविल ईकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

4. ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवा मुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी शामिल है),

5. ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर 06 माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो,

6. ऐसे सैनिक जो असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग कर दिये गये हों,

7. ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक न बन सकेगें
8. ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सकीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्रों के प्रावधान भी लागू रहेंगे।

(ङ). छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 रायपुर दिनांक 02.06.2004 अनुसार शिक्षा कर्मियों को एवं एफ 1–2/2002/1–3 दिनांक 10.02.2006 पंचायत कर्मियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी जितने वर्ष उसने शिक्षा कर्मी/पंचायत कर्मी के रूप में सेवा की है। इसके लिए छः माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी। तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु की सीमा तक रहेगी।

(त). छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनांक 30.01.2012 अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाये जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है। यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

**टीप :– किसी भी उम्मीद्वार को किसी आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।**

## 03. नियम व शर्ते :–

1. आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए ।
2. उपरोक्त पदों पर चयन के समय पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीद्वारों को अनुविभागीय अधिकारी (रा.) द्वारा जारी **स्थायी जाति प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. आवेदन करने की तिथि को आवेदक के समस्त आवश्यक प्रमाण पत्र जीवित (वैध) होना अनिवार्य होगा। आवेदन भरने के सम्बन्ध में आवश्यक सावधानी बरतें, बाद में अभ्यार्थी के द्वारा तिथि, वर्ग, विषय, विकलांगता आदि में परिवर्तन मान्य नहीं होगा।
4. विकलांग अभ्यार्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. आवेदन पत्र का प्रारूप –आवेदक को आवेदन पत्र कार्यालय प्राचार्य, शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा विज्ञाप्ति प्रारूप में ही प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्ते) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :–

   (अ) पुरूष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है, तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

   (ब) जो शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ नही पाया जाए ।

   (स) जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो ।

   (द) जिस आवेदक की दो से अधिक जीवित संतान है, जिसमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो।

7. प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा शा.कन्या पॉलीटेक्निक, रायपुर में आयोजित की जायेगी।

8. प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाये गये छत्तीसगढ़ के ऐसे स्थानीय निवासी को जो कही सेवारत न हो एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आवेदक है, को प्रायोगिक (दक्षता/कौशल) परीक्षा में सम्मिलित होने पर छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व दिया जायेगा, जिसके लिये वांछित घोषणा पत्र भरकर देना आवश्यक होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित सभी प्रमाण प्रस्तुत करने होगें।

9. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मान्य अन्य पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर मे आने वाले आवेदकों को आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं यात्रा व्यय संबंधी लाभ नही मिलेगा।
10. छ0ग0 शासन के नियमानुसार कुशल परिचारक पद हेतु भूतपूर्व सैनिकों का आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार विचार किया जावेगा ।
11. संस्था में उपलब्ध रिक्त पदों हेतु छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13–1/2012/आ.प्र/1–3, दिनांक 03.12.2012 के अनुसार शारीरिक रूप से निःशक्तजनों के लिए आरक्षण नियमों ध्यान रखा गया है ।

12. प्रायोगिक/दक्षता/कौशल परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये बुलाये गये अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण–पत्रों के जांच (सत्यापन) का कार्य संस्था द्वारा कराया जायेगा। अंक सूची/प्रमाण–पत्र त्रुटिपूर्ण पाये जाने पर उम्मीदवारी/परीक्षा परिणाम/चयन निरस्त किया जा सकेगा।

13. ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नही होगा जब तक कि नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद जो आवश्यक समझी जाये, इस बात का समाधान न हो जाये कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से योग्य है।

14. आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नही होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदंडों पर निर्भर करेगी।

15. चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है, कि किसी उम्मीदवार द्वारा अनैतिक / राजनैतिक दबाव डलवाया जा रहा है, या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित किया जा रहा है, तो उसका आवेदन पत्र अमान्य किया जा सकता है तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नही किया जावेगा।

16. यदि किसी आरक्षित अथवा अनारक्षित वर्ग में महिलाओं के लिये उपरोक्तानुसार अनारक्षित/आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से पद रिक्त रह जाते है, तो ऐसे रिक्त पद अग्रणित नही किये जायेंगे अपितु उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवार के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

17. कौशल परीक्षा/साक्षात्कार के दौरान अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अपात्र माना जावेगा।

18. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकर आपसी वरीयता तय की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की उम्र अधिक होगी उन्हें वरिष्ठता प्रदान की जावेगी।

19. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियोक्ता का होगा।

20. चयनित उम्मीदवार को चयन उपरांत/कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण–पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

21. चयनित उम्मीदवारो का पुलिस व्हेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) कराया जायेगा तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण–पत्र कार्यग्रहण के एक माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा। एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाण–पत्र का सत्यापन छत्तीसगढ़ राज्य के जाति प्रमाण–पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति से किये जाने के बाद ही सेवा में लिया जावेगा।

22. यह नियुक्तियां पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएवं नियुक्ति की शर्तों के अनुसार अपात्र/अयोग्य पाये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त करने का अधिकार नियोक्ता के पास होगा।

23. चयनित उम्मीदवारो की नियुक्ति 02 वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी एवं चयनित उम्मीदवारों को विभाग द्वारा समय–समय पर आयोजित प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

## 04. आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :–

1. आवेदन पत्र इस विज्ञापन में दिए गए प्रारूप के अनुसार ही टंकित कराकर आवश्यक प्रविष्टियां सुस्पष्ट अक्षरों में आवेदक द्वारा स्वयं पूर्ति कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
2. पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 07 सितम्बर, 2013 को सायं 05:00 बजे तक** बन्द लिफाफे एवं आवेदन पत्र में जिसमें स्पष्ट रूप से **आवेदित पद का नाम, वर्ग (Category) (अजजा/अजा/अपिव/अनारक्षित /महिला/भू.पू.सै. इत्यादि)** लिखा जाना आवश्यक है, प्राचार्य, शासकीय

कन्या पॉलीटेक्निक, बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) 492001 के कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किये जावेंगे।

3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, स्थाई जाति प्रमाण पत्र, जाति सत्यापन प्रमाण पत्र, छ0ग0 निवासी प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र आदि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. पृथक–पृथक पदो के लिए पृथक–पृथक आवेदन स्वीकार किये जावेंगे ।
5. स्वयं का पता पिन कोड सहित लिखा हुआ एक लिफाफा जिस पर 05 रूपये की डाक टिकट चस्पा की गई हो, आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
6. शासकीय, अर्द्धशासकीय अथवा निजी संस्थानों में कार्यरत् कर्मचारियों को अपना आवेदन पत्र उन संस्थानों के नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

## 05. अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी :–

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये गये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी एवं त्रुटि या अपूर्ण आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

## 06. चयन प्रक्रिया :–

चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया तकनीकी शिक्षा तृतीय श्रेणी अलिपिकीय वर्गीय भर्ती नियम – 2005 के अनुसार होगी । सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदो के लिये मेरिट के आधार पर चयन के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नानुसार अथवा अन्य कोई युक्ति संगत तरीका अपनाया जा सकेगा ।

**<u>पद क्रमांक 01, 1.1, व 1.3, के लिए :–</u>**

| | | |
|---|---|---|
| न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं के अंक हेतु | – | प्राप्तांको के प्रतिशत के 60% (अधिकतम 60 अंक) |
| अनुभव हेतु प्रतिवर्ष के लिए 2 अंक, | – | अधिकतम 20 अंक |
| राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद/NCC/NSS/स्काउट,गाइड | – | अधिकतम 10 अंक |
| साक्षात्कार | – | पूर्णांक 10 में से प्राप्तांक (अधिकतम 10 अंक) |

**<u>पद क्रमांक 1.2 के लिए :–</u>**

| | | |
|---|---|---|
| न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताओं के अंक हेतु | – | प्राप्तांको के प्रतिशत के 40% (अधिकतम 40 अंक) |
| अनुभव हेतु प्रतिवर्ष 1 अंक | – | अधिकतम 10 अंक |
| आवश्यकता अनुसार प्रायोगिक/दक्षता/कौशल परीक्षा | – | पूर्णांक 40 में से प्राप्तांक (अधिकतम 40 अंक) |
| साक्षात्कार | – | पूर्णांक 10 में से प्राप्तांक (अधिकतम 10 अंक) |

उपरोक्त प्राप्तांको को जोड़कर संयुक्त, वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार कर उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा।

विज्ञापित पदों के 01 पद के विरूद्ध 03 के अनुपात में साक्षात्कार हेतु एवं 01 पद के विरूद्ध 10 के अनुपात में प्रायोगिक/दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जायेगा।

प्रायोगिक/दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु 10 गुना उम्मीदवार सीमित करने के लिए शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत के आधार पर संयुक्त, वर्गवार/श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार कर कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

प्रायोगिक/दक्षता/कौशल परीक्षा में पूर्णांक 40 अंक होंगे।

प्रायोगिक/कौशल/दक्षता परीक्षा में न्युनतम 50 प्रतिशत अंक अर्थात् 40 में से 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

प्रायोगिक/कौशल/दक्षता परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक से कम अंक पाये जाने पर साक्षात्कार के लिये उम्मीदवार अनुपयुक्त माना जायेगा तथा इनका नाम साक्षात्कार के लिये बुलाये जाने वाले उम्मीदवारों की सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

* किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अधिकार प्राचार्य/नियोक्ता का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।

* किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायायिक क्षेत्र जिला–रायपुर ही रहेगा ।

* समस्त वर्गों के आरक्षण के संबंध में राज्य शासन द्वारा दिये गये आरक्षण नीतियों का पालन किया गया है ।

**प्राचार्य,**
**शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक**
**बैरन बाजार, रायपुर (छ0ग0)**

# आवेदन पत्र का प्रारूप

| |
|---|
| राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ चस्पा करें |

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक,
बैरन बाजार, रायपुर (छ0ग0)
492001

1. आवेदित पद का नाम एवं :– ..........................................................................
   वर्ग :– ..........................................................................

| अ.जा. | अ.ज.जा. | अ.प.वि. | महिला | भू.पू.सै. | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) :– ..........................................................................

3. आवेदक का पूरा नाम (अंग्रेजी के केपीटल लेटर में) :– ..........................................................................

4. पिता/पति का नाम :– ..........................................................................

5. पत्र व्यवहार का पता एवं पिन कोड :– ..........................................................................
   दूरभाष :–..........................................................................
   मोबाइल :–..........................................................................

6. स्थायी पता :– ..........................................................................
   :– ..........................................................................
   :– ..........................................................................

7. गृह जिला :–..........................................................................

8. राष्ट्रीयता :– ..........................................................................

9. जन्मतिथि अंको में :– ................................ (ब) शब्दों में .............
   (हाई स्कूल प्रमाण–पत्र के आधार पर)
   इसकी छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें
10. आयु (01 जनवरी, 2014 की स्थिति में) :– ..........................................................................

11. आयु सीमा में छूट चाहते है? हाँ/नहीं :– ..........................................................................
    यदि हॉ तो छूट का आधार (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
12. लिंग (महिला/पुरूष) :– ..........................................................................

| पुरूष | | | महिला | | |
|---|---|---|---|---|---|
| विवाहित | अविवाहित | विधुर | विवाहित | अविवाहित | विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा |

13. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि :– ..........................................................................
14. जीवित बच्चों की संख्या :– ..........................................................................

| क्रमांक | नाम | लिंग | जन्मतिथि |
|---|---|---|---|
| | | | |

15. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हॉ / नहीं
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

16. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नही (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र/उच्च स्तरीय छानबीन समिति से जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

अनु.जाति [ ] अनु. जनजाति [ ] अन्य पिछड़ा वर्ग [ ]

17. शैक्षणिक एंव तकनीकी अर्हता :– ( अंक सूची की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

| क्र. | उत्तीर्ण परीक्षा का नाम | उत्तीर्ण करने का वर्ष | प्राप्तांक/ कुल अंक | प्रतिशत | श्रेणी | बोर्ड/वि.वि. का नाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |

18. अन्य विशेष योग्यता खेलकूद/सांस्कृतिक/ NCC/NSS/स्काउट,गाइड कार्यक्रम इत्यादि का प्रमाण–पत्र संलग्न करें
19. वर्तमान तथा पूर्व नौकरी का विवरण (यदि हो तो)
अ– नियोक्ता/कार्यालय का नाम पता :– ......................................................................
ब– धारित पद का नाम एवं वेतनमान का मूल वेतन :– ......................................................................
20. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक :–........................... दिनांक :..........................
रोजगार कार्यालय का नाम :– .............................................
21. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जा रहे सत्यापित दस्तावेजों का विवरण :–

1.................................................................... 2..............................................................
3.................................................................... 4..............................................................
5.................................................................... 6..............................................................

दिनांक

**आवेदक के हस्ताक्षर**
**दिनांक सहित**

## घोषणा–पत्र

मै एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मैने विज्ञापित पात्रता शर्तो को ध्यान से पढ़ लिया है। इस प्रपत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण तथा संलग्न सभी अभिलेख मेरे विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा आवेदित पद के लिये मै निर्धारित योग्यता रखता/रखती हूं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/अपूर्ण पाई जाती है या यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

मूल दस्तावेज एवं प्रमाण–पत्र मांगे जाने पर मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

स्थान :–
दिनांक :–

**आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर**
**(पूर्ण नाम एवं पता)**